महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – पचासीवां संस्करण (माह अप्रैल, 2023)

➔ "पहल" के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. मनरेगा योजना अंतर्गत हितेषी कूप निर्माण विकास की दृष्टिकोण में मील का पत्थर
3. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) का स्वरूप एवं प्रावधान, भाग–चार
4. दिव्यांगता नहीं तोड़ सकी हुनरमंदों का हौसला
5. सफलता की कहानी इतिया बाई परते जुबानी
6. मोटे अनाज (मिलेट्स) से स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरण की सुरक्षा
7. मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना
8. गोबरधन योजना

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री मलय श्रीवास्तव (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का पचासीवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2023 का चतुर्थ मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में विभिन्न शासकीय योजनाओं के संबंध में आलेख प्रस्तुत किये गये है तथा शासकीय योजनाओं से लाभार्थियों की जीवन में हुये सकारात्मक परिवर्तनों एवं विकास को सफलता की कहानियों के रूप में शामिल किया गया है।

संस्करण में **''मनरेगा योजना अंतर्गत हितेषी कूप निर्माण विकास की दृष्टिकोण में मील का पत्थर''**, **''मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) का स्वरूप एवं प्रावधान, भाग–चार''**, **''दिव्यांगता नहीं तोड़ सकी हुनरमंदों का हौसला''**, **''सफलता की कहानी इतिया बाई परते जुबानी''**, **''मोटे अनाज (मिलेट्स) से स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरण की सुरक्षा''**, **''मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना''** एवं **''गोबरधन योजना''** आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

मनरेगा योजना अंतर्गत हितेषी कूप निर्माण विकास की दृष्टिकोण में मील का पत्थर

प्रस्तावना –

भारत शासन कि गाईड लाईन एवं माननीय प्रधान मंत्री जी के अहवान में म.प्र . शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की अगुवाई में ग्रामीणों के उत्थान हेतु महात्मा गाँधी राज्य रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश के तहत कूप निर्माण गतिविधि का क्रियान्वयन हितेषी कूप निर्माण की कायाकल्प की अवधारणा से समेकित विकास की परिकल्पना पर आधारित है।

कार्य का विवरण –

कार्य का नाम	–	हितेषी कूप निर्माण कार्य हेमवती बाई पति स्व. रामदास
स्वीकृत वर्ष	–	2020–2021
स्वीकृत राशि	–	243958
जाब कार्ड न.	–	1733006034002 / 145
व्यय राशि	–	124243
कार्य पूर्णता वर्ष	–	2021–2022

भोगोलिक / परिदृश्य –

ग्राम पंचायत बन्दर कोला ग्राम बन्दर कोला में मनरेगा योजना अंतर्गत हेमवती बाई पति स्व. रामदास का हितेषी कूप निर्माण कार्य वर्ष 2020–2021 में स्वीकृत किया गया था जिसकी भूमि का खसरा न. 110 रकवा 0.83 हे. है। जिसमे हितेषी कूप निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है।

उद्देश्य –

कृषक हेमवती बाई पति स्व. रामदास द्वारा पानी के अभाव में केवल बरसात की फसल का उत्पादन किया जा रहा था जिससे कृषक को लाभा प्राप्त नहीं हो पा रहा था और घर कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हितेषी कूप निर्माण के पश्चात् कृषक द्वारा रवि कि फसल का उत्पादन भी किया जाने लगा जिससे कृषक कि आय में बढोतरी हुई। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हितेषी कूप निर्माण अनुमत कार्य स्वीकृत कर पूर्ण किया गया।

गतिविधि –

मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत बन्दर कोला जनपद पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर में हितेषी कूप निर्माण हेमवती बाई पति स्व. रामदास अनुमत कार्य स्वीकृत कर, कुल स्वीकृत राशि 243958 के विरुद्ध आज दिनांक तक कुल व्यय 124243 किया जा चूका है कार्य वर्तमान में पूर्णता कि स्थिति में है।

संभावनाए –

हितेषी कूप निर्माण का वास्तविक उद्देश्य न केवल अधोसंरचनाओ का निर्माण करना है वरन पेयजल कि आपूर्ति कर कृषि उत्पादन को बढाते हुए कृषक कि आये में वृद्धि कर स्थाई आजीविका की सुनिश्चितता तय करना है ताकि कृषक के आय में बढ़ोत्तरी होकर आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर में सुधार हो सके।

निर्माण कार्य के फोटोग्राफ –

वर्तमान स्थिति कार्य प्रगति

हितग्राही के कथन –

कृषक हेमवती बाई पति स्व. रामदास ने बताया कि –

1. पानी की उपलब्धता होने से रबी की फसल का उत्पादन किया जाना संभव हुआ।
2. उत्पादन बढ़ने से परिवार की आय में वृध्दि हुई है और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है।
3. कूप निर्माण कार्य में मनरेगा योजना से मेरे परिवार के द्वारा कार्य किया गया,जिससे प्राप्त मजदूरी राशि से मेरे परिवार का भरण पोषण संभव हुआ साथ ही परिसम्पत्ति भी अर्जित हुई।

उपसंहार –

यथार्थ में हितग्राही हेमवती बाई पति स्व. रामदास को हितेषी कूप निर्माण की विराट अवधारणा से विकास के नवीन आयाम का जन्म हुआ है। गतिविधि के क्रियान्वयन में कूप निर्माण से पेयजल कि आपूर्ति कर कृषि उत्पादन को बढा कर रोजगार व आजीविका कि स्थाई आपूर्ति से हितग्राही कि मानसिक विचारधारा में नवीन रचनात्मक एवं सरनात्मक भाव के उदगार होगें, जिससे निकट भविष्य में यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि हितग्राही हेमवती बाई पति स्व. रामदास का हितेषी कूप निर्माण विकास की दृष्टिकोण में मील का पत्थर अथवा रामबाण औषधी संजीवनी बूटी के रूप में चरितार्थ होगा।

डॉ. त्रिलोचन सिंह
संकाय सदस्य

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) का स्वरूप एवं प्रावधान, भाग–चार

मध्यप्रदेश में पंचायतों का संचालन ''मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इस लेख के माध्यम से आपको मध्यप्रदेश की पंचायत राज व्यवस्था के संबंध में लागू किये गये प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है।

इस लेख में अधिनियम के प्रावधानों की सूची दी जा रही है। लेख की विषय–वस्तु के विस्तार को ध्यान में रखते हुये लेख को क्रमशः भागों में तैयार किया गया है। लेख के भाग–एक, 82वां अंक, माह–जनवरी, 2023 एवं भाग–दो 83वां अंक, फरवरी 2023, भाग–तीन 84वां अंक में प्रकाशित हो गये हैं। जिनमें मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के स्वरूप एवं अध्याय एक से अध्याय पन्द्रह में उल्लेखित धारा 01 से 132 एवं अनुसूचियों का विवरण एवं इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत बनाये गये प्रमुख नियमों की जानकारी दी गई थी।

लेख के इस भाग में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत बनायी गई उपविधियां, मध्यप्रदेश में संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अन्तर्गत नियम, मध्यप्रदेश महत्वपूर्ण अधिनियम एवं महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों की सूची दे रहे हैं।

आदर्श उपविधियॉ (Model Bye Laws)

(1) ग्राम पंचायत पशुओं द्वारा पिये जाने वाले जल संसाधनों का सन्निर्माण तथा अनुरक्षण उपविधियां (धारा 49 खण्ड 3, धारा 97 की उपधारा 1)

(2) ग्राम पंचायत धर्मशाला, सराय तथा विश्राम गृह विनियमन उपविधियां, 1998 (धारा 49 खण्ड 4 एवं 15, धारा 97 की उपधारा 1)

(3) ग्राम पंचायत प्रदर्शन, मनोरंजन गृहों और खाद्य पदार्थो के विक्रय पर का विनियमन तथा नियंत्रण, उपविधियां, 1999 (धारा 49 खण्ड 9 धारा 97 की उपधारा 1)

(4) ग्राम पंचायत खेल का मैदान, क्लब, व्यायामशाला, पुस्तकालय, पार्क आदि का सन्निर्माण तथा संधारण उपविधियां, 1999 (धारा 49 खण्ड 24 धारा 97 की उपधारा 1)

(5) ग्राम पंचायत घास–पात हटाये जाने संबंधी उपविधियां, 1999 (धारा 49 खण्ड 1 एवं 5, धारा 97 की उपधारा 1)

(6) ग्राम पंचायत पड़ाव स्थल का उपयोग विनियमन उपविधियां, 1999 (धारा 49 खण्ड 11, धारा 97 की उपधारा 1)

(7) ग्राम पंचायत अग्निशमन उपविधियां, 1999 (धारा 49 खण्ड 25 का उपखण्ड ''ख'', धारा 97 की उपधारा 1)

(8) ग्राम पंचायत के भीतर सुअरों के रखने को विनियमित करने संबंधी उपविधियां, 1999 (धारा 49 की मद 1 और मद 29, धारा 97 की उपधारा 1)

(9) आवारा तथा पागल कुत्तों द्वारा कारित लोक अव्यवस्था नियंत्रण उपविधियां, 1999 (धारा 49 का खण्ड 22 एवं 29, धारा 97 की उपधारा 1)

(10) ग्राम पंचायत (भवनों के परिनिर्माण तथा विस्तार पर नियंत्रण) उपविधियां, 1999 (धारा 49 का खण्ड 10, धारा 55 की उपधारा 1, धारा 97 की उपधारा)

मध्यप्रदेश में संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अन्तर्गत नियम

(1) नशामुक्त ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना नियम, 2018 (संविधान के अनुच्छेद 47, आबकारी अधिनियम की धारा 61 ङ)

(2) म.प्र. पंचायत एवं समाज कल्याण सेवा (राजपत्रित) भरती नियम, 1998 (भारत के संविधान के अनुच्छेद 309)

(3) म.प्र. पंचायत एवं समाज कल्याण तृतीय श्रेणी (लिपिकवर्गीय) सेवा भरती नियम, 1998 (भारत के संविधान के अनुच्छेद 309)

(4) मध्यप्रदेश पंचायत एवं सामाजिक न्याय तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भरती नियम, 2004 (भारत के संविधान के अनुच्छेद 309)

(5) मध्यप्रदेश पंचायत एवं सामाजिक न्याय चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम, 2006 (भारत के संविधान के अनुच्छेद 309)

(6) मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 (भारत के संविधान के अनुच्छेद 309)

(7) मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय सेवा भरती नियम, 2013 (भारत के संविधान के अनुच्छेद 309)

(8) मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय चतुर्थ श्रेणी सेवा तथा सेवा की सामान्य शर्ते भरती नियम, 2013 (भारत के संविधान के अनुच्छेद 309)

(9) मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भरती नियम, 2013 (भारत के संविधान के अनुच्छेद 309)

(10) म.प्र. पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग तृतीय वर्ग (लिपिकीय और अलिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 1992 (भारत के संविधान के अनुच्छेद 309)

(11) म.प्र. विकास आयुक्त, पंचायत और ग्रामीण विकास, तृतीय श्रेणी (लिपिकवर्गीय और अलिपिकवर्गीय सेवा भर्ती) नियम, 1999 (भारत के संविधान के अनुच्छेद 309)

(12) म.प्र. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग चतुर्थ वर्ग सेवा भर्ती नियम, 1992 (भारत के संविधान के अनुच्छेद 309)

(13) म.प्र. निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम, 2013 (मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 की धारा 9)

मध्यप्रदेश महत्वपूर्ण अधिनियम

(1) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993

(2) मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम, 2005

(3) मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम, 1934

(4) मध्य भारत साहूकारगण अधिनियम, संवत 2007

(5) मध्य भारत साहूकारगण नियम, संवत 2009 (मध्य भारत साहूकारगण अधिनियम, संवत 2007 की धारा 21)

(6) मध्यप्रदेश ग्राम न्यायलय नियम, 2013 (ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 39 की उपधारा 1 एवं 2)

(7) मध्यप्रदेश रोजगार कर्मी योजना, 2007 (मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 70)

(8) मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005

(9) मध्यप्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (शिकायत प्रतितोषण) नियम, 2012 (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 32 की उपधारा 2 के खण्ड घ, धारा 19)

(10) मध्यप्रदेश सामाजिक संपरीक्षा नियम, 2013 (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 24 की उपधारा 2 एवं धारा 32 की उपधारा 1 एवं 2)

(11) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया) मध्यप्रदेश नियम, 2021 (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 7 की उपधारा1 तथा 6, धारा 15 की उपधारा 5 के खण्ड ख, धारा 32 की उपधारा 2 के खण्ड ख)

(12) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (लोकपाल की नियुक्ति, शक्तियां एवं कर्तव्य) मध्यप्रदेश नियम, 2021 (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 20 की उपधारा 1 तथा 2)

(13) मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (संविधान के अनुच्छेद 243 – य घ)

(14) मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (यात्रा भत्ता) नियम, 1995 (मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 10 की उपधारा 5, धारा 11 की उपधारा 1)

(15) मध्यप्रदेश जिला योजना समिति निर्वाचन नियम, 1995 (मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 3)

(16) मध्यप्रदेश जिला योजना उपसमितियां (संरचना, कार्य, सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1995 (मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 9 की उपधारा 2, धारा 11 की उपधारा 1)

(17) मध्यप्रदेश जिला योजना समितियां (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1999 (मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 11 की उपधारा 2)

(18) पंचायत तथा समाज कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षाओं तथा पाठ्यक्रम संबंधी नियम, अधिसूचना क्रं. एफ. 3–75–98–छब्बीस–2, दिनांक 3 जून, 1999

(19) मध्यप्रदेश पंचायत शैक्षणिक (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1999

महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियम

(1) पशु अतिचार अधिनियम, 1871

(2) केन्द्रीय प्रान्त साहूकार अधिनियम, 1934

(3) साहूकार लेखे नियम, 1935

(4) केन्द्रीय प्रान्त एवं बरार साहूकार रजिस्ट्रीकरण, नियम 1940

(5) संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992

(6) पंचायत–उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (संविधान का अनुच्छेद 244)

(7) ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009)

(8) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005

(9) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (केन्द्रीय परिषद) नियम, 2006 (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 31 की उपधारा 2)

(10) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि नियम, 2006 (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 31 की उपधारा 2 का खण्ड ग, उपधारा 1)

(11) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (लोकपाल की नियुक्ति, शक्तियां एवं कर्त्तव्य) मध्यप्रदेश नियम, 2013 (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 32 की उपधारा 1, धारा 27 की उपधारा 1)

इस प्रकार से लेख के इस भाग में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत बनायी गई उपविधियां, मध्यप्रदेश में संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अन्तर्गत नियम, मध्यप्रदेश महत्वपूर्ण अधिनियम एवं महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों की सूची दी गई है।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

दिव्यांगता नहीं तोड़ सकी हुनरमंदों का हौसला

दिव्यांगता नहीं तोड़ सकी हुनरमंदों का हौसला – श्री जितेन्द्र पिता ईडला ग्राम सोमकुॅआ एवं श्री कैलाष पिता इडला ग्राम सोमकुॅआ पिछले 3 वर्ष से रोजगार कि तलाष में प्रयासरत थे परन्तु उनकी दिव्यांगता के कारण वह न तो वह बोल सकते है और ना ही सुन सकते थें । आजीविका मिषन द्वारा एवं प्रशासन द्वारा कई संस्थाओं में जितेन्द्र एवं कैलाश के लिए प्रयास किया गया परन्तु विकलांगता की वजह से कई बार असफल रहे सुनाई नहीं देने के कारण वे कोई भी कारोबार नहीं कर सकते थे । ऐसे में डिमविवर संस्था द्वारा सुझाव दिया गया कि अगर श्रवण मशीन के माध्यम से भी अगर सुन पाये तो में इनके लिए कुछ कर सकता हूॅ ।

अगर कही अन्य नौकरी या मजदुरी पर जाते थे तो भी वही श्रवण की कमजोरी सामने आ जाने से कोई काम नहीं देता था। जब मिशन के माध्यम से डिमविवर की संस्था से सम्पर्क किया गया तो उन्होने उसे विकासखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य मेने के उपस्थित होने की सलाह दी जब वे मैले में गये तो वहां उपस्थित चिकित्सकों द्वारा उनकी गहन जांच की गई एवं टेस्ट के माध्यम से यह निर्णय लिया गया की उनके सुनने की क्षमता पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई हो श्रवण यंत्र के माध्यम से उनके सुनने की क्षमता बढ सकती है । अतः उपयुक्त श्रवण यंत्र का चयन किया गया एवं उन्हें संस्था के माध्यम से निःषुल्क श्रवण यंत्र प्रदान किया आयोजन में शासकीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थें ।

जिसके अन्तर्गत डिमविवर संस्था द्वारा भी जितेन्द्र पिता ईडला ग्राम सोमकुआ एवं श्री कैलाष पिता इडला गाम सोमकुॅआ लोजिस्टक के लिये चयन किया कर लिया गया आज जिन्तेन्द्र एवं सैलाष सफलतापूर्वक लोजिस्टकी का प्रशिक्षण ले रहे हैं । इन दोनों के द्वारा इस सुविधा के माध्यम से उनकी श्रवण शक्ति लौटने से अब वे अपनी दैनिक दिन चर्या में लौट चुके हैं एवं व्यस्थित रूप से अपने रोजगार के साथ अपना जीवन ज्ञापन कर रह है। दोनों ने एवं उनके परिवार जनों ने शासन प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों को इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद प्रेषित किया।

तल्लीन बड़जात्या
संकाय सदस्य

सफलता की कहानी इतिया बाई परते जुबानी

मध्यप्रदेश आजिविका मिशन के द्वारा गांवों में गरीबी में जीवन यापन करने वाले गरीब महिलाओं को आर्थिक–सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है। ऐसे ही इतिया परते दुरस्थ आदिवासी अंचल मे निवास करने वाली ऐसी महिला है जो सही ढंग से बोल भी नही पाती थी, लोगों से बातचीत करने में परेशानी का सामना करनी पड़ती थी। कभी बस तक में कही सफर नही किया। ऐसी ही इतिया बाई परते आजिविका मिशन के सम्पर्क में आई।

जिला मण्डला से एक दीदी गोरखपुर, ज.प. छपारा में आकर समूह का गठन किया जिसमें समूह की सचिव बनी। शुरू में सभी इसको बहुत मजाक उड़ाते थे समूह की शक्ति की पहचान नही थी धीरे–धीरे समय बीत्ता गया और आजीविका मिशन सतत् सम्पर्क में रहने से बोल–चाल की भाषा को सीखा, परिचय देना सीखा, लोगों के रिश्तों को समझा बैक में खाता खुला फिर हमारा आना–जाना बैंक होने लगा जिससे मुझे अंदर का डर भी भाग गया ऐसे समझ आया की समूह क्या है समूह से जुडने से क्या मिलेगा फिर मुझे बुककीपर की ट्रेनिंग,सामाजिक आंकेक्षण, मनरेगा का प्रशिक्षण, ईशक्ति का प्रशिक्षण, ई–सीआपी का प्रशिक्षण, एवं पोषण वाटिका का प्रशिक्षण की ट्रेनिंग भी ली समूह गठन की ई सी आर पी की ट्रेनिग लिया में ईसीआरपी का काम भी करने लगी मै वर्तमान में सिवनी में प्रोडुसर कंपनी की डॉयरेक्टर हूँ।

ई शक्ति की भी ट्रेनिंग ली कम्पनी के कार्य करने के साथ–साथ ई शक्ति में 50 समूह का डाटा कलेक्शन कर मोबाईल में एन्ट्री करती हूँ कोविड 19 का दो पंचायत में कार्य किया था समूह से जुड़ने के बाद हमें कभी काम की कमी नही हुई। आज हमारे जीवन में सुधार आया अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढाते है हमारा परिवार खुश है।

डॉ. विनोद सिंह,
संकाय सदस्य

मोटे अनाज (मिलेट्स) से स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरण की सुरक्षा

चावल और गेहूं के अलावा अन्य अनाज मोटे अनाज (मिलेट्स) कहलाते हैं इनका बहुत अधिक पोषक मूल्य है। ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, सांवा, चीना, कंगनी आदि प्रमुख भारतीय मिलेट्स हैं। मोटे अनाज का सेवन हमारे देश की प्राचीन परम्परा रही है। पोषक अनाज के रुप में अनेक भारतीय ग्रंथों में मोटे अनाज का उल्लेख है जिनमें कालीदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवम सुश्रुत कृत सुश्रुत संहिता प्रमुख हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से पूरे विश्व में यह वर्ष मोटे अनाजों के अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023 के रूप में मनाया जा रहा है। भारत के केंद्रीय बजट 2023 में मोटे अनाजों को श्री अन्न नाम दिया गया है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है।

भारत में केंद्र और राज्य सरकार स्तर पर मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि ये जलवायु अनुकूल है, पौष्टिक हैं और कम पानी की खपत वाली फसलों के रुप में कई सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान दे सकते हैं। केंद्र एवम राज्य स्तर पर मोटे अनाजों के अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023 को जन आंदोलन की तरह आयोजित किया जा रहा है।

'मिलेट की ब्रांड एंबेसडर' बनी एमपी की आदिवासी महिला लहरी बाई, 'श्री अन्न' की 150 से अधिक किस्मों का संरक्षण

मोटे अनाजों का महत्त्व –

मोटे अनाज रोजगार सृजन, छोटे व सीमांत किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण , खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवम पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपार क्षमता के कारण महत्त्वपूर्ण हैं। मोटे अनाज किसान, उपभोक्ता, जलवायु एवम पर्यावरण सभी के अनुकूल हैं क्योंकि इनकी खेती करना सरल है, कम लागत एवम कम पानी में अच्छी पैदावार होती है, खराब जलवायु एवम सूखे का अधिक असर नहीं पड़ता । मोटे अनाजों की खेती में रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, वनस्पति खाद, पंचगव्य जैसे जैविक खाद का उपयोग मोटे अनाज की खेती को पर्यावरण हितैषी बनाते हैं। मोटे अनाज का सेवन स्वास्थ्य वर्धक एवम इम्यूनिटी बढ़ाने वाला होता है। मोटे अनाजों का अधिक उत्पादन और उपयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक होगा । ये लक्ष्य हैं ––––––शून्य गरीबी (1), शून्य भुखमरी(2) , उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्य(3) , सम्मानीय आजीविका और विकास (8) , टिकाऊ उपभोग और उत्पादन(12) , बेहतर पर्यावरण (13) तथा पृथ्वी पर जीवन (15) ।

मोटे अनाजों से लाभ –

- मोटे अनाज ग्लूटेन फ्री होते हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन,एंटीऑक्सीडेंट्स , फास्टोकेमिकल्स और एमिनो एसिड्स आदि होते हैं ।

- कार्बोहाइड्रेट्स – फाइबर अनुपात कम होने के कारण मोटे अनाज हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, पाचन तंत्र की कमजोरी जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के उपचार में लाभकारी हैं।

- मोटे अनाज सहायक पोषण अर्थात न्यूट्रीशनल सप्लीमेंट भी हैं जो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने एवम पुराने रोगों के इलाज में सहायक हैं।

- मोटे अनाज युक्त पूरक पोषक आहार गर्भवती एवम स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए बहुत पौष्टिक होते हैं।

- मोटे अनाज से बने हुए पूरक खाद्य पदार्थों में प्रमुख हैं –– मिलेट मिल्क माल्ट, रागी के कटलेट, बिस्कुट, रागी फ्लेक्स, पापड़,ब्रेड, कुकीज, लड्डू , फ्लेक्स ज्वार, रागी सेवई, कोदो बाजरे की खिचड़ी,पुलाव , उपमा, डोसा , पराठे, चपाती, कोदो कुटकी खीर , रागी और जई आधारित पौष्टिक पेय आदि।

केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मोटे अनाजों को बढ़ावा देने वाली प्रमुख गतिविधियां

- राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2018 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पोषक अनाज पर उप मिशन प्रारंभ किया गया और 2018 को मोटे अनाज के राष्ट्रीय मिशन के रुप में घोषित किया गया जिसका उद्देश्य इनकी खेती को प्रोत्साहन देना और मांग पैदा करना था। मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023 की घोषणा के माध्यम से भारत में मोटे अनाजों की खेती और उपयोग की जागरूकता के इन प्रयासों को। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है।

- ग्लोबल मिलेट्स (श्री अन्न) सम्मेलन का आयोजन मार्च 2023 में नई दिल्ली में किया गया।

- मोटे अनाज की फसलों के उत्पादन, उपयोग एवम प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार , जागरूकता कार्यक्रम , मिलेट्स महोत्सव, वर्कशाप आदि आयोजित किए जा रहे हैं।

- मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की अनुसूचित जनजाति की लहरी बाई मोटे अनाजों के संरक्षण हेतू अभूतपूर्व कार्य कर रही हैं। इन्होंने मोटे अनाजों की लगभग 150 किस्मों का बीज बैंक बनाकर किसानों

को इसकी खेती के लिए जागरूक कर रही हैं। लहरी बाई को मोटे अनाजों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एवम उनके उत्कृष्ट कार्यों हेतू भारत की माननीया राष्ट्रपति जी द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।

- मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के तहत मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर एवम सिंगरौली जिले में कोदो कुटकी को प्रमोट किया जा रहा है।
- प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना प्रारम्भ की जा रही है। योजना का क्रियान्वयन संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से सभी जिलों में किया जाएगा।
- किसानों को मोटे अनाज के उन्नत प्रमाणित बीज सहकारीध शासकीय संस्थाओं से 80 प्रतिशत अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे।
- मिलेट फसलों के उत्पादन , प्रसंस्करण एवम विपणन को बढ़ावा देने के लिए किसानों के प्रशिक्षण एवम राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण होंगे।
- प्रदेश में राज्य एवम जिला स्तर पर मेले, कार्यशाला , सेमिनार, फूड फेस्टिवल , रोड शो किए जाएंगे।
- शासकीय कार्यक्रमों की भोजन व्यवस्था में मिलेट व्यंजन शामिल किया जाएगा।
- शासकीय छात्रावास एवम मध्यान्ह भोजन में सप्ताह में एक दिन मोटे अनाज का उपयोग किया जाएगा।

मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना , उद्योग एवम स्टार्टअप को प्रोत्साहन, उपभोक्ताओं में जागरूकता तथा उपभोक्ताओं की थाली में मोटे अनाज युक्त व्यंजनों का नियमित समावेश मोटे अनाजों का सुनहरा भविष्य है। भारत सरकार एवम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में सकारात्मक पहल की गई है।

राजीव लघाटे
मु.का.अ.ज.पं.

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना

योजना के उद्देश्य

बाल देखरेख संस्थाओं को छोडने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालकों (आफ्टरकेयर) को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुनर्स्थापित करना।

18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को जो अपने सम्बंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, को आर्थिक सहायता (स्पॉन्सरशिप) उपलब्ध कराना।

योजना के अंतर्गत सहायता दो प्रकार से होगी –

1 –आफ्टरकेयर **2 – स्पॉन्सरशिप**

आफ्टर केयर अन्तर्गत पात्रता

- आफ्टर केयर योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर 05 वर्ष तक निवासरत बच्चे पात्र होंगे।
- अनाथ, परित्यक्त बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास हेतु आवश्यक अवधि सम्बंधी पात्रता में छूट प्राप्त होगी।
- दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर का लाभ प्राप्त न हो रहा हो, किन्तु बाल देखरेख संस्था में पुनः पुनर्वासित करवाया गया बालक तथा दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर में रखने की अवधि की भी गणना, पात्रता अवधि में शामिल होगी।
- आफ्टर केयर अन्तर्गत आर्थिक सहायता, इंटर्नशिप, व्यवसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा हेतु निर्धारित समयावधि अथवा 24 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक दी जायेगी।

आफ्टर केयर अन्तर्गत आर्थिक सहायता एवं निःशुल्क शिक्षा सहायता

बाल देखरेख संस्था से निर्मुक्त हुये केयर लीवर्स को योजना अंर्तगत निम्नानुसार सहायता की पात्रता होगी

इंटर्नशिप – उद्योग विभाग द्वारा जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त सूची में उल्लेखित केयर लीवर्स की योग्यता के अनुसार औद्योगिक संस्थान, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठित संस्थाओं की पहचान कर इंटर्नशिप देकर उसी संस्था में यथासंभव रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा।

इंटर्नशिप अवधि के दौरान 5,000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो इंटर्नशिप की अवधि समाप्ति तक या एक वर्ष, जो भी कम हो तक देय होगी, किन्तु किसी भी दशा में 01 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी।

व्यावसायिक प्रशिक्षण – पोलीटेकनिक डिप्लोमा, आईटीआई, पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री कौशल विकास आदि के तहत् दी जाने वाली शासकीय संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण, संबंधित विभाग के द्वारा से निःशुल्क प्रदाय किये जायेंगे।

व्यावसायिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान 5,000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि समाप्ति तक या दो वर्ष, जो भी कम हो तक देय होगी, किन्तु किसी भी दशा में 02 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी।

तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष शिक्षा एवं विधि शिक्षा सहायता –

NEET, JEE या CLAT में प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर किसी शासकीय, अशासकीय संस्थाओं में प्रवेश करने वाले केयर लीवर्स को अध्ययन अवधि के दौरान 5,000 रूपये से 8,000 रूपये तक आर्थिक सहायता प्रतिमाह दी जायेगी एवं पाठ्यक्रम अवधि तक फीस नियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। केयर लीवर्स की श्रेणी का निर्धारण एवं प्रत्येक श्रेणी में अध्ययन अवधि के दौरान दी जा रही आर्थिक सहायता का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

आफ्टर केयर अन्तर्गत आवेदन एवं लाभांवित किये जाने प्रक्रिया

- प्रत्येक बाल देखरेख संस्थाओं के अधीक्षकध्प्रबंधक द्वारा बाल देख–रेख संस्था में निवासरत 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों का चिन्हांकन एवं पहचान किये गये बच्चों की व्यक्तिगत देखरेख योजना (Individual Care Plan) तैयार की जायेगी।
- औद्योगिक संस्थाओं में इंटर्नशिप पर जाने वाले, व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एवं उच्च शिक्षा में जाने वाले बच्चों की पृथक–पृथक सूची एवं डेटाबेस तैयार किया जायेगा।

- योजना अन्तर्गत गठित समिति के द्वारा प्रकरण परीक्षण उपरान्त स्वीकृत किये जायेंगे। यह स्वीकृति आदेश प्रत्येक हितग्राही प्रति वर्ष जारी किया जायेगा एवं इसके लिये सम्पूर्ण प्रक्रिया समय से पहले ही सम्पादित की जायेगी। पोर्टल से ही स्वीकृति आदेश जारी किये जायेंगे।

स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत पात्रता

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता–पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों तथा जो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत् पात्रता में नहीं आते है ऐसे बच्चे योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।

स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत योजना के तहत् पात्र पाये गये बच्चे को सहायता

- **आर्थिक सहायता** – योजना के तहत् पात्र पाये गये प्रत्येक बच्चे को 4000ध्– प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी जो बच्चे एवं रिश्तेदार अथवा संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी, जो न्यूनतम 01 वर्ष होगी। बालक अथवा परिवार की आर्थिक समृद्धता में सुधार न होने की स्थिति में अवधि में वृद्धि की जा सकेगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम 18 वर्ष की आयु के पश्चात राशि देय नही होगी।

- **चिकित्सा सहायता** – चिकित्सा सहायता दिये जाने हेतु प्रत्येक बच्चे का आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया जायेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु बच्चों की सूची सहित आवश्यक जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध करवायी जायेगी।

पोर्टल

- योजना अंतर्गत सभी आवेदन दस्तावेजों सहित बाल आशीर्वाद पोर्टल (www.balashirwadyojna.mp.gov.in) पर प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया निशुल्क होगी।

- आफ्टर केयर अन्तर्गत आवेदन बाल देखरेख संस्थाओं के अधीक्षकध्प्रबंधक के सहयोग से केयर लीवर्स के द्वारा पोर्टल पर दर्ज किये जायेगे।

बजट

योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक आर्थिक राशि का प्रावधान महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में किया जाएगा।

डॉ. वंदना तिवारी,
व्याख्याता

गोबरधन योजना

ग्रामीण भारत मे विभिन्न प्रकार के जैव अपशिष्ट अत्यधिक मात्रा मे निकलते है । जिनमे पशु अपशिष्ट, रसोई का बचा हुआ अपशिष्ट फल अवशेष बाजार का कचरा फीकल सीवेज इत्यादि। भारत की 19 वीं पशु धन गणना अनुसार मध्यप्रदेश मे लगभग 26, 6 मिलियन बोंबिन्स, 13130 भेड़ 80 मिलियन बकरिया और 8755 सुअर है। इसके अलावा 2014 के भारतीय कृषि अनुसंधान के आकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश मे 33,18 मिलियन टन फसल अवशेषों का उत्पादन होता है जिसमें से 10.22 मिलियन टन अवशेषो के रूप मे मान्य है। मवेशियों के गोबर और ठोसकृषि अपशिष्ठ को खाद या बायोगैस मे परिवर्तित करके ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए गांवों मे स्वच्छता सुनिश्चित करने और धन उपार्जन और उर्जा उत्पन्न करने के लिए फरवरी 2018 मे माननीय वितमंत्री ने अपने बजट भाषण मे Gobar (Galvanizing Organic Bio Agro resources) की शुरूआत की। यह पहल जैव अवक्रमण योग्य वसूली संसाधनो मे कचरे के रूपांतरण का समाधन करने के लिए है।

गोबरधन योजना का पोर्टल 1 फरवरी 2021 को लांच किया गया । ग्रामीण क्षेत्रो मे साफ सफाई के कार्य हेतु सभी अपशिष्ठ को सुरक्षित निपटान के लिए तथा आंतरिक रूप से खत्म करने के लिए यह कार्यक्रम चलााया गया है। ग्रामीण क्षेत्रो में जहॉ अत्यधिक गंदगी फैली रहती है जिसको आंतरिक रूप से नष्ट नही किया जा सकता है केवल उसे एक जगह से दुसरे जगह पर शिफ्ट किया जाता है । इन सभी अपशिष्टो को किसानों द्वारा प्रबंधन किया जाकर किसानों से सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। जिसे पुनः परिवर्तित कर सी एन जी बनाई जाएगी जो की ईधन या बायोफ्यूल के रूप मे देशवासियों के काम आएगी। इस योजना का पूरा नाम गेल्वेनाईजिंग आर्गनिक बायो. एग्रे रिसोर्सेज योजना 2022 है। इसके माध्यम से एक ओर तो किसानों की आमदनी मे बढ़ोतरी होगी वही दूसरी ओर हमारा देश अत्यधिक गंदगी फेली रहती है। जिसको आंतरिक रूप सें नष्ट नही किया जाता है। केवल एक जगह से दूसरी जगह डाल दिया जाता है। इन सभी अपशिष्टो को आंतरिक रूप से खत्म करने के साथ साथ किसानों से सरकार दुबारा खरीद कर बायोगैस या सी एन जी बनाई जाएगी। जिसके माध्यम से किसानो की आय में बढोत्तरी होगी साथ ही ग्रामीण क्षेत्रो से प्रदूषण भी कम होगा। गेल्वेनाइजिंग ऑर्गनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज योजना 2022 के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रो मे गोबर गैस

प्लांट व्यक्तिगत सामुदायिक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोशाला एन जी ओ स्तर पर स्थपित किये जाएगें इसके माध्यम से सरकार दुवारा की गई इस पहल के अंतर्गत स्वच्छता कायम होगी, जिसके कारण बीमारियॉ भी कम फैलेगीं।

उत्पादन की प्रकिया–

बायोगैस का उत्पादन विभिन्न प्रकार के जैविक कचरे के प्रसंस्करण के माध्यम से किया जाता है यह एक नवीकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल धन है जो 100% स्थानीय फिर स्टॉक से बनाया गया है बायोगैस उत्पादन का परिपत्र अर्थव्यवस्था प्रभाव उत्पादन प्रक्रिया में बरामद जैविक पोषक तत्वों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है जब गैस का उत्पादन एरोबिक वातावरण मे ंकिया जाता है यहा ंदो चरणो ंमें होती है दो चरणों को एसिड गठन चरण और मीथेन गठन चरण के रूप में कहा गया है ऐसे निर्माण चरण मे ंअपशिष्ट पदार्थों में मौजूद घटित जटिल कार्बनिक यौगिकों पर गोबर में मौजूद एसिड बनाने वाल बैक्टीरिया के एक समूह द्वारा कार्य किया जाता है क्योंकि इस चरण मे ंकार्बनिक अम्ल उत्पाद है।

इसलिए इसे अम्ल बनाने की अवस्था के रूप में जाना जाता है दूसरे चरण मे ंमेथीनौ सैनिक बैक्टीरिया के समूह कार्बनिक अम्ल पर मीथेन गैस बनाने का कार्य करते हैं बायोगैस में अनिवार्य रूप से मेथेन और कार्बनडाइऑक्साइड और इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड अमोनिया और अन्य ड्रेस कैसे होती है बायोगैस संयोजन के लिए मुख्य रूप से पाचन के लिए उपयोग किए जाने वाले सब स्टेट और स्वयं के नमन प्रक्रियाओं से प्रभावित होती है सबस्ट्रेट या सब स्ट्रेट मिश्रण काम इस प्रकार मुख्य रूप से बायोगैस स्थिति के निर्धारित करता है।

बायोगैस के लिए रोमटेरियल

डीपी गोबर को चौंपकैश संयंत्रों के लिए मुख्य कच्चेमाल के रूप में मान्यता दी गई है अन्य सामग्री जैसे नाइट शायरी पूरे और कृषि अपशिष्ट का भी उपयोग किया जा सकता है तो उसकी एक पवित्र रेंज के साथ साथ इस वजह से फील्डस्टाफ का उपयोग किया जा सकता है बायोगैस उत्पादन के लिए उपयुक्त सामग्री निम्नलिखित है।

पशुकोपर कृषि से खाद और क्षेत्र बायोमास एवं अवशिष्ट उपचार संयंत्रों से –

सामग्री को आमतौर पर लोरिया अपशिष्ट प्रबंधन वाहन द्वारा बायो गैस संयंत्र के रिसेप्शन पर तक पहुंचाया जाता है

जैविक उमत्पादन का लाभ

पर्यावरण हितैषी –

बायोगैस एक अक्षय साथ ही ऊर्जा का एक स्वच्छ स्त्रोत है जय पाचन के माध्यम से उत्पन्न ने गैर गैर प्रदूषणकारी है यह वास्तव में ग्रीन हाउस उत्सर्जनको कम करताहै यानी ग्रीन हाउस प्रभावको कम करता है कोई भी दहन प्रक्रिया में नहीं होता है। जिसका अर्थ है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो ना इसलिए ऊर्जा के रूप में कचरे से गैस का उपयोग करना वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने का एक शानदार तरीका है।

बायोगैस सृजन ने मिट्टी और जल प्रदूषण को कम किया

बायोगैस सृजन ने निमित्य जल प्रदूषण को कम किया

ओवरफ्लो होने वाली लैंडफिल ना केवल दुर्गंध फैलाते है बल्कि वे जहरीले तरल पदार्थों को भूमिगत जल स्रोतों में बहा देते हैं। नतीजतन बायोगैस का एक और लाभ यह है कि बायोगैस ग्राउंड वाटर की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। इसके अलावा आवाज भी पाचन रोगजनक को और परजीवीको निष्क्रिय करता है। इस प्रकार यह जल जनित रोगों की घटनाओं को कम करने में भी काफी प्रभावी है इसी तरह अवशिष्ट संग्रह और

प्रबंधन बायोगैस संयंत्रों के साथ क्षेत्रों में काफी सुधार करते हैं यह पर्यावरण स्वच्छता और स्वच्छता में सुधार की ओर जाता है।

यह एक सरल और कम लागत वाली प्रौद्योगिकी है, जो आर्थिक स्थिति को भी बढ़ाती

बायोगैस का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक काफी सस्ती है छोटे स्तर पर निवेश करना आसान है और कम निवेश की जरूरत है रसोई की कचरे और पशु को वर्ड का उपयोग किया जा सकता है। घरेलू प्रणाली थोड़ी देर के बाद खुद के लिए भुगतान करती है और साथ ही उपयोग की जाने वाली सामग्री बिल्कुल मुफ्त है प्रकट गैस का उपयोग सीधे खाना पकाने और बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता।

स्वास्थ्य कुकिंग अल्टर नेटिव फॉर डेवलपिंग एरिया –

बायोगैस जनरेटर महिलाओं और बच्चों को जलाऊ लकड़ी संग्रहण के कठिन काम से बचाते है नतीजतन खाना पकाने और साफ करने के लिए अधिक समय बसता है इससे भी महत्वपूर्ण बात कैसे स्टॉप पर खाना बनाना एक कुड़ी आपकी वजह परिवार को रिसीव मत हुए के संपर्क में आने से रोकता है यह खा तक शासन लोगों को रोकने में मदद करता है।

अभिषेक नागवंशी,
संकाय सदस्य